AFR

18.09.2006

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम : माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश और
माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

रिट याचिका क्रमांक 5181 सन् 2000

याचिकाकर्ता : श्रीमती निर्मला सिदार, उम्र लगभग 35 वर्ष पति श्री विजय कुमार सिदार, पेशा – सेवा, आश्रम शाला, बिरहोरा, धरमजयगढ़, जिला रायपुर

बनाम

प्रतिवादी :
1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, आदिम जाती कल्याण विभाग भोपाल
2. आयुक्त (राजस्व), बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
3. कलेक्टर रायगढ़
4. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार, जबलपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से श्री राजेश पांडे, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री उत्कर्ष वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता

<u>मौखिक आदेश</u>

(दिनांक 18 सितंबर, 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:

याचिकाकर्ता ने, गजराज नामक व्यक्ति के निधन पर, जो सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत था, सन् 1995 में यह दावा करते हुए एक आवेदन किया कि वह मृतक की दूर की रिश्तेदार है और इसलिए, वह अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। उसके आवेदन पर विचार करते हुए, प्रतिवादी राज्य अधिकारियों ने उसे 17-8-1995 को अनुकंपा के आधार पर सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया। बाद में, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता मृतक

गजराज की विधिक उत्तराधिकारी नहीं है, दिनांक 13-12-1999 के कार्यालय आदेश द्वारा उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई।

2. उपर्युक्त कार्यवाही से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष मूल आवेदन संख्या 1759 सन् 2000 दायर किया। न्यायाधिकरण ने, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने गजराज की मृत्यु के 12 साल बाद नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और उसकी प्रारंभिक नियुक्ति पूरी तरह से अवैध और अनियमित थी, 11-5-2000 के अपने आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया।

3. उस आदेश से व्यथित होकर, यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है। यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमसे भावनात्मक अपील की कि याचिकाकर्ता स्वर्गीय गजराज की पालक पुत्री थी और गजराज की मृत्यु की तारीख पर, वह मृतक गजराज की आय पर पूरी तरह से निर्भर थी और इसलिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में मात्र देरी उसके दावे को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए, जो अन्यथा स्वीकार्य है। वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया कि पर्याप्त देरी के बावजूद, सरकार ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सन् 1995 में याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश की थी और इसलिए, 4 साल बाद इस कथित आधार पर उसकी नियुक्ति समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं था कि याचिकाकर्ता मृतक गजराज की विधिक उत्तराधिकारी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता ने न्यायाधिकरण के विवादित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की ओर से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने में गंभीर देरी हुई थी। 12 साल की देरी बहुत बड़ी देरी थी और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के आलोक में याचिकाकर्ता को कोई अनुतोश नहीं दी जा सकती थी।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, निर्णय के लिए उठने वाला छोटा प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी राज्य अधिकारियों ने 13-12-1999 के आदेश द्वारा अनुकंपा के आधार पर याचिकाकर्ता को पहले दी गई नियुक्ति को समाप्त करने में अवैध रूप से और अनुचित रूप से कार्य किया। शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) को अनुच्छेद 14 के साथ पढ़कर, एक सामाजिक-आर्थिक उपाय के रूप में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश का प्रावधान इस देश के संवैधानिक न्यायालयों द्वारा बनाए रखा गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती की एक विधि नहीं है, बल्कि संकट में परिवार के तत्काल पुनर्वास के लिए एक सुविधा है ताकि मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को

गरीबी से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य गरीब परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है और यह रोजगार प्रदान करना नहीं है। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि कर्मचारी की मात्र मृत्यु उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं देती है यदि परिवार के सदस्य आय के अन्य स्रोतों से आर्थिक रूप से खुद को बनाए रख सकते हैं। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में देरी अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का एक ठोस और अच्छा आधार है।

6. हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हकीम सिंह [1] में, एक कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो गई और उसने अपने पीछे एक नाबालिग बेटा छोड़ा। अनुकंपा नियुक्ति योजना के अनुसार, वयस्क होने के बाद तीन साल की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। नाबालिग बेटे ने निर्धारित समय से परे एक आवेदन किया। उच्च न्यायालय द्वारा "नाबालिगों के मामले में ऐसे अनुरोध करने के लिए तीन साल का समय" वाक्यांश की व्याख्या "नाबालिगों के मामले में तीन साल की अवधि उसके वयस्क होने की तारीख से लागू होगी" को चुनौती देने पर सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने माना कि यदि मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य उसकी मृत्यु के 14 साल बाद भी गुजारा कर सकते हैं, तो उसके विधिक उत्तराधिकारियों में से एक उत्तराधिकार के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। किसी भी अनुकंपा नियुक्ति योजना का मुख्या उद्देश्य परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में मदद करना है जो उसके एकमात्र कमाने वाले सदस्य की असामयिक मृत्यु के कारण आश्रितों पर पड़ा है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले इन सिद्धांतों के आधार पर, जब हम इस मामले के तथ्यों को देखते हैं, तो हमें कहना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए हमारे हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता की आयु 35 वर्ष दर्शाई गई है। रिट याचिका सन् 2000 में दायर की गई थी और गजराज की मृत्यु 9-12-1983 को हुई थी, यानी सन् 1983 के अंत में। निर्विवाद रूप से, मृतक गजराज की मृत्यु की तारीख पर, याचिकाकर्ता वयस्क थी। हमें यह समझने में कठिनाई हो रही है कि यदि याचिकाकर्ता वास्तव में स्वर्गीय गजराज की आय पर पूरी तरह से निर्भर थी, तो उसने 12 साल की लंबी अवधि तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा किए बिना मामले पर क्यों ध्यान नहीं दिया। यद्यपि याचिका में यह खुलासा नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कब शादी की थी, यानी मृतक गजराज की मृत्यु से पहले या बाद में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, हमारे प्रश्न पर, प्रस्तुत किया कि उसने मृतक गजराज की मृत्यु के बाद शादी की थी। उस कोण से भी देखने पर, एक विवाहित महिला को यह नहीं कहा जा सकता था कि वह पति की आय पर नहीं, बल्कि सामान्य वंश के 4-5 डिग्री से बहुत दूर के रिश्तेदार की आय पर पूरी तरह से निर्भर थी। यह भी एक ऐसी परिस्थिति है जो याचिकाकर्ता के दावे की वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा करती है।

[1] (1997) 8 SCC 85

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. चाहे जो भी हो, 12 साल की अत्यधिक देरी, हमारी सुविचारित राय में और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे के लिए घातक है। उस दृष्टिकोण से, हम अक्षोपित आदेश पर कोई आपत्ति नहीं कर सकतेहै। इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नही किया जाता है।

हस्ताक्षर/-
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षर/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By :
Rajendra Patel, Advocate